न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 40/19 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. देशराज पुत्र सूरजभान कौम जाट निवासी कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर
2. हेमकरण पुत्र सूरजभान कौम जाट निवासी कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान
3. बनेसिंह पुत्र सूरजभान कौम जाट निवासी कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान
4. रतनलाल पुत्र सूरजभान कौम जाट निवासीस कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

:----- अपीलांटस

बनाम

1 कासिम अहमद खान पुत्र निसार अहमद खान जाति खानजादा निवासी ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर

2 नसीम अहमद खान पुत्र निसार अहमद खान जाति खानजादा निवासी ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर

3 मौहम्मद असलम खां पुत्र निसार अहमद खान जाति खानजादा निवासी ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर

4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कोटकासिम

:------ रेस्पो0

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखंड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक 23.4.2019

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांटस :- श्री गोविन्द राम यादव

2. वकील रेस्पो0 :- श्री रूद्रकिशोर सैनी

निर्णय दिनांक 4.9.2019

------ ----------

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 19/2019 अन्तर्गतस धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 23.4.2019 के खिलाफ है, जिसके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पो0 ने तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0 टी0 एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 656 है, जिसमें आने जाने का कोई रास्ता नहीं है । प्रार्थी को आराजी खसरा नम्बर 668 व 667 की उत्तरी डोल में से रास्ता 15 फीट दिलाया जावे । तहत न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र अपीलाधीन निर्णय द्वारा स्वीकार किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में बताया कि प्रार्थी रेस्पो0 का रास्ता बांध की पाल पर से है तथा उसके अलावा गांव में से भी रास्ता उनके खेतों की तरफ जाता है । प्रार्थी रेस्पो0 कभी भी हमारी आराजी से आवागमन नहीं करता था । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की जांच नहीं की । पटवारी हल्का मौके अनुसार रिपोर्ट तैयार नहीं की, बल्कि रिकार्ड के अनुसार तैयार कर दी और उस गलत रिपोर्ट को ही तहसीलदार ने तहत न्यायालय को भेज दी । प्रार्थी रेस्पो0 की आराजी के तरफ उत्तर को बांध की पाल है, जिस पर से प्रार्थी रेस्पो0 अपने खेतों में आते जाते रहते हैं तथा वहां पर रास्ते के निशानात गाडियों की लीख भी पडी हुई है । इस बात को स्वयं प्रार्थी रेस्पो0 ने तथा उसके गवाहान ने स्वीकार किया है, परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया । तहत न्यायालय ने हमारी आराजी में से जहां से रास्ता दिया है, वहां पर हमारे मकानात बने हुये हैं । जब प्रार्थी रेस्पो0 के आने जाने के लिये पूर्व से ही रास्ता है तो फिर हमारी आराजी में से रास्ता कायम किया जाना न्यायसंगत नहीं है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

4 जवाब में विद्वान वकील प्रार्थी रेस्पो० ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर० टी० एक्ट के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि पूर्व से कोई रास्ता नहीं है । हमारी खातेदारी की भूमि में आने जाने के लिये अपीलांट की भूमि नजदीक है । रास्ता सही तौर पर दिया गया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । अपीलांट ने अपील में मुख्य ऐतराज ये उठाये हैं कि रास्ता पूर्व से ही बांध की पाल से होकर आता है, इसलिये अपीलांट की भूमि से रास्ता नहीं दिया जा सकता । इसके अतिरिक्त अपीलांट ने मुख्य जोर इस बात पर भी दिया है कि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की जांच नहीं की गई । इस आपत्ति के संदर्भ में हमने अपील का निस्तारण करने से पूर्व भू प्रबन्ध विभाग के भूमापक एवं निरीक्षक से मौका रिपोर्ट तलब की, जिन्होंने उक्त रिपोर्ट में अंकित किया है कि देशराज ने अपने खेत खसरा नम्बर 658, 659 में मकान बना रखा है व आने जाने के लिए स्वयं के खसरा नम्बर 659, 665 व 666 से मैन रास्ते तक रास्ता ले रखा है तथा खसरा नम्बर 667 व 668 में से कुर्सिद खां वगैरा पैदल आने जाने का पगडंडी का रास्ता हाल फिलहाल है । लेकिन फसल बुवाई के वक्त कुर्सिद खां वगैरा को ट्रैक्टर व अन्य वाहन लाने के लिए रास्ता नहीं है ।
खसरा नम्बर 1128 गैर मुमकिन रास्ता में से निकल कर खसरा नम्बर 1143, 1144, 1145, 1146 व 653 की दूरी ज्यादा है, यहां से रास्ता देने में ज्यादा लोग प्रभावित होंगे और खसरा नम्बर 656 के पश्चिम में ग्राम कान्हडका के अन्य खेत है । इसके बाद बांध की पाल है, वह भी दूर है । तथा खसरा नम्बर 657 की तरफ भी ग्राम कान्हडका के खेत है । अन्य रास्ता नहीं है ।

6. उक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया तो पाया कि आराजी खसरा नम्बर 667 व 668 में पगडंडीनुमा रास्ता है, परन्तु फसल बुवाई के समय ट्रैक्टर या अन्य ले जाने के लिये रास्ता नहीं है । ये खसरा नम्बर प्रार्थी रेस्पों० की खातेदारी के पास है ।

7. अपीलांट ने अपनी अपील में ऐतराज उठाया है कि बांध की पाल से होकर पूर्व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

से ही रास्ता है । इस सम्बन्ध में हमने उक्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया तो पाया कि यह बांध की पाल प्रार्थी रेस्पो0 के खेतों से काफी दूर है ।

8. उक्त मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि आराजी खसरा नम्बर 667 व 668 वाके ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम प्रार्थी रेस्पो0 की खातेदारी की भूमि के नजदीक है । बांध की पाल काफी दूर है । धारा 251 ए आर0 टी0 एक्ट का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रार्थी को नजदीक की भूमि से रास्ता दिया जावे ताकि उसे सुविधा रहे । दूर रास्ता देने से प्रार्थी एवं अन्य लोग प्रभावित होते है । उपरोक्त सभी तथ्यों के विवेचन की रोशनी में यह सिद्ध होता है कि बांध की पाल का रास्ता प्रार्थी रेस्पो0 की खातेदारी से काफी दूर है । आराजी खसरा नम्बर 667 व 668 प्रार्थी रेस्पो0 की खातेदारी के नजदीक है । नजदीक होने के कारण तहत न्यायालय द्वारा इन खसरा नम्बरों में से प्रार्थी रेस्पो0 को 15 फीट चौडा रास्ता दिया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

9. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय की अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 23.4.2019 यथावत रखी जाती है ।

10. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner